

न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 59 / वी-121 / 2015-16

: आदेश ::

( आज दिनांक 02/06/2016 को पारित किया गया )

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 28.04.2016 को जोबट ग्राम देहदला रोड़/मे सडक दुर्घटना मे नानबु पिता हेमता जाति भिलाला निवासी ग्राम सिन्धी की मृत्यू हो जाने से आर्थिक अनुदान राशि 15000/- स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर एफआईआर, पीएम, मृत्यू प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के निकटतम वारिशान में उसकी पत्नि श्रीमति हतरी पति स्व. नानबू जाति भिलाला निवासी सिन्धी तहसील जोबट को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या -01-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)  
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क / 418 / रीडर / 2016  
प्रतिलिपि:-

अलीराजपुर दिनांक.....2/6/2016

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर। (संलग्न बैंक खाते की छायाप्रति)
- 4 प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कार्यालय अलीराजपुर की ओर अपलोड हेतु।
- 5 सहायक जनसंपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट ।
- 5 तहसीलदार तहसील जोबट ।
- 6 संबंधित श्रीमति हतरी पति स्व. नानबू जाति भिलाला निवासी सिन्धी तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर  
जिला अलीराजपुर